फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू

केस संख्या 123/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/4/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। बहस विवादित खाता पर पूर्व में सुनी जा चुकी है। दावा स्वीकार किया जाकर मुताबिक फर्द जात अन्तिम डिक्री किया जाता है। विवादित खाता के साथ संलग्न नक्शा इसका अभिन्न भाग रहेगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर इसका भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर व दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– शिवचरण शर्मा (आरएएस)

वाद संख्या :– 123/2016 निर्णय दिनांक :–22.04.2024

उनवान

1. बजरंगलाल पुत्र श्री भौरया जाति जाट निवासी ग्राम गढ का बांस कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र श्री भौरया
2. रामरख पुत्र भौरया (मृतक दौराने दावा)
   2/1 रामनारायण पुत्र स्व0 रामरख
   2/2 रामकरण पुत्र स्व रामरख
   2/3 जगदीश पुत्र श्री रामरख
   2/4 सीता पुत्री रामरख
3. रामलाल पुत्र स्व मोतीलाल
4. सीताराम पुत्र स्व मोतीलाल
5. शंकर लाल पुत्र स्व मोतीलाल
6. शिवराम पुत्र स्व मोतीलाल
7. रमेश पुत्र स्व मोतीलाल
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गढ का बांस तहसील कोटखावदा जिला जयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की शामिलाती कृषिभूमि खसरा संख्या 1272 रकबा 0.15 है0, 1273 रकबा 0.15 है0, 1274 रकबा 0.18 है0, 1299 रकबा 1.11 है0, 1300 रकबा 1.15 है0, 1301

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

रकबा 1.04 है0, 1302 रकबा 0.90 है0, 1303 रकबा 0.90 है0, 1304 रकबा 0.87 हठे, 1305 रकबा 0.03 है0, 1330 रकबा 0. 11 है0, 1945 रकबा 0.17 है0, 1946 रकबा 0.21 है0, 1947 रकबा 0.62 है0, 1948 रकबा 0.57 है0, 1949 रकबा 0.57 है0, 1951 रकबा 0.06 है0, 1953 रकबा 0.11 है0, 1954 रकबा 0.17 हैक्टेयेर कुल खसरा किता 19 कुल रकबा 9.0700 हैक्टेयर स्थित ग्राम कोटखावदा पटवार क्षेत्र कोटखावदा उत्तर, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी 1 व 2 का हिस्सा 1/3 व 1/3 है, जिस पर मनबट के हिसाब से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 पडोसी काश्तगार है, जो वादी के खसरा संख्या 1951 व 1953 के हिस्से के लगवा कृषिभूमि पर काश्त करते है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कई बार अपनी कृषिभूमि का विधिवत् तकासमा करवाये जाने का कई बार निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पहले तो तकासमा करने बाबत् रजामन्दी दे दी परन्तु बाद में टालमटोल करने लग गये और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के, इस प्रकार के व्यवहार से प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 के मनसूबे नापाक हो गये और प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 वादी की खसरा संख्या 1951, 1953 की कृषिभूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 ने निर्माण सामग्री इकट्ठी कर ली है और दिनांक 6.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 मौके पर आकर वादी के खसरा संख्या 1951 व 1953 पर कब्जा करने के उद्देश्य से नाप जोप कर, नींव खोदने लग गये, तो वादी ने मौके पर जाकर अपने खेत मे कब्जा करने से रोका तो प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 ने वादी की बात नही मानी और वादी को मौके से चले जाने को कहा और ऐलानीया धमकी दी की खसरा संख्या 1951 व 1953 उनकी स्वयं की भूमि है, वह इस भूमि पर पक्की बाउण्ड्री बनवाकर निर्माण कर, कब्जा करेगें। उसमें वादी उनका कुछ नही बिगाड सकता और वादी के साथ मारपीट करने को उतारू हो गये तो आप–पडोस के लोगो ने प्रतिवादी 3 लगायत 7 से वादी का बचाव करवाया अन्यथा प्रतिवादी 3 लगायत 7 वादी को जान

उपखण्ड ... उपखण्ड ...

से ही खत्म कर देतें। वादी ने उपरोक्त कृत्य के बाबत् पुलिस थाना कोटखावदा में जाकर निर्माण कार्य रोकने के लिये कहा तो न्यायालय से आदेश लाने की बात कहकर वादी को भगा दिया। प्रतिवादी संख्या 8 भू-स्वामी है जिसके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने अपनी कृषिभूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2012 को ही करवा रखा है। जिसकी भी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 परवाह नही कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व वादी का विधिवत तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् करवाया जावें साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये, कि वे वादीगण की कृषिभूमि पर जबरन कब्जा ना करे, उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करें। कोई निर्माण कार्य न करे और वादी को पूर्व की भांति उपयोग व उपभोग में लेने देवे और वादी की सीमाओं का विवाद निस्तारित कर पत्थरगडी करवायी जावें । तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 8 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह बिना विधिवत् तकासमा के दीगर व्यक्ति व संस्था के नाम उक्त खसरा नम्बरान् का नामांतरकरण ना खोले। अतः वाद-वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व वादी का विधिवत तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् करवाया जावें साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये, कि वे वादी की कृषिभूमि पर जबरन कब्जा ना करे, उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करें। कोई निर्माण कार्य न करे और वादी को पूर्व की भांति उपयोग व उपभोग में लेने देवे और वादी की सीमाओं का विवाद निस्तारित कर पत्थरगडी करवायी जावें । तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 8 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह बिना विधिवत् तकासमा के दीगर व्यक्ति व संस्था के नाम उक्त खसरा नम्बरान् का नामांतरकरण ना खोले।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलबी जारी की गयी वकील वादी ने कथन किया कि जावें, अतः दावा तकासमें का

होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 14.06.2017 को मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार कोटखावदा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि दोनो पक्षो की मोजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाकर पेश करे, जिसकी पालना हेतु तहसीलदार कोटखावदा को पत्र क्रमांक राजस्व/17/2334 दिनांक 21.06.2017 एवं 861 दिनांक 11.02.2022 एवं 6569 दिनांक 26.07.2023 के द्वारा लिखा गया, तहसीलदार कोटखावदा ने आदेश की पालना में क्रमांक भू अ/2024/54 दिनांक 12.01.2024 को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवायी गयी जो शामिल पत्रावली किये जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया तो वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश नही की गई है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किया जाना जाहिर किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार से आपत्ति नही किये जाने से एवं कुर्रेजात राजस्व मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा कुर्रेजात निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)